1

विशेष प्रकरण<u>कमांकः 185 / 2015</u> संस्थित दिनांक—29.04.2015 फाईलिंग नंबर—230303002842015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला–भिण्ड (म०प्र०)

----अभियोजन

विकद्ध

- भूरासिंह पुत्र सरनामसिंह तोमर उम्र 29 साल निवासी सिहोनियाँ मुरैना
- लला उर्फ धर्मवीरसिंह तोमर पुत्र सोवरनसिंह तोमर उम्र 27 साल निवासी कटेलापुरा पी०एस० दिमनी जिला मुरैना म०प्र०

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक आरोपी भूरासिंह द्वारा श्री प्रवेश कुमार वर्मा अधिवक्ता आरोपी लला उर्फ धर्मवीरसिंह तोमर द्वारा श्री टी०एन०शुक्ला अधिवक्ता

−::− <u>निर्णय</u> -::-

(आज दिनांक 08 सितंबर-2015) को खुले न्यायालय में घोषित्र

- 1. अभियुक्तगण भूरासिंह एवं लला उर्फ धर्मवीर के विरूद्ध के विरूद्ध 397 भादिव एवं धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पीके0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 06.10.14 को दिन के 1.30 बजे से 2.00 बजे के बीच कदमनुपरा नागौर के बीच आम कच्चा रास्ता अंतर्गत थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकेंती प्रभावित क्षेत्र में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर परिवादी नरेन्द्रसिंह तोमर से सात सौ रूपये एवं उसकी पत्नी हैमलता से एक कॉलर सोने का, चार सोने की चूड़ी, दो सोने की अंगूठी को आग्नेयास्त्र कट्टा से तत्काल मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर उनसे लूट कर लूट कारित की एवं आरोपी लला उर्फ धर्मवीर के विरूद्ध धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत यह भी आरोप है कि वह अपने आधिपत्य में उक्त दिनांक स्थान व समय पर अवैध रूप से 12 बोर का कट्टा व अन्य 12 बोर का कारतूस को अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया गया था।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर एवं श्रीमती हैमलता आपस में पित पत्नी हैं तथा घटना दिनांक को नरेन्द्र के साढ़ू रनधीरसिंह की दादी के स्वर्गवास हो जाने से उनकी तेरहवीं में शामिल हो जाने के लिये उसके

ग्राम एण्डोरी के लिये अपने गांव बड़ागांव थाना दिमनी जिला मुरैना से मोटरसाईकिल से गये थे।

- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी 3. नरेन्द्रसिंह तोमर निवासी बड़ागांव मुरैना ने मय अपनी पत्नी हैमलता के थाना एण्डोरी पर उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की कि दिनांक 06.10.14 को वह अपने साढ़भाई रन्धीर की दादी के ग्राम एण्डोरी में खतम होने से उनकी तेरहवीं में शामिल होकर आ रहे थे कि जैसे ही भौनपुरा कलसी के पास आये तो मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आगे निकल गये। आगे उसने रास्ता पूछा तो कच्चे रास्ते मुड़ने के स्थान पर मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठे थे। वह आम रास्ता से चला आ रहा था। बंबा को पार हुआ तभी मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आये और उसकी मोटरसाईकिल रूकवा ली। दोनों ने कट्टे निकालकर बोले कि चीजें जेवर निकालो नहीं तो जान से मार देंगे। सोई उसकी पत्नी हैमलता ने अपने पहने जेवर चार चूडी, कॉलर दोनों अंगूठी सोने की वजनी लगभग साढे छः तौला कीमती करीब 75000/—रूपये उतारकर उनको दे दिये। तथा फरियादी की जेब से 700 / -रूपये निकाल लिये और पीछे की तरफ को मोटरसाईकिल से चले गये। दोनों का हुलिया लंबाई 5–6' तगडा, सावला मूंछ छोटी, दूसरा जिसने सामान लिया, लंबाई सामान्य, तगड़ा सावंला उल्टी कैप लगाये थे। तथा मोटरसाईकिल काले रंग की थी जिसे सामने आने पर पहचान लेंगे 🎑 बाद में उसने फोन से अपने रिश्तेदारों को सूचना दी। तब वह भौनपुरा सिहानियाँ तक तलाश करते रहे। वह लोग मोटरसाईकिल व मोबाईल नहीं ले गये।
- 4. फरियादी द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट पर से अप०क०-79/2014 धारा-392 भादिव एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत अपराध कमांक- 79/2014 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण जप्ती पंचनामा प्र0पी०-15, 16 एवं प्र0पी०-19 बनाये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी०-12 एवं 17 बनाये गये। तथा नक्शामौका, शिनाख्तगी, एवं साक्षीगण के कथन आदि की कार्यवाही कर संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
 - 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर 397 भादवि एवं धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पीके0 एक्ट 1981 एवं आरोपी लाल उर्फ धर्मवीर के विरुद्ध उक्त अपराध के अलावा अतिरिक्त रूप से धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - क्या अभियुक्तगण भूरासिंह एवं लला उर्फ धर्मवीर के विरूद्ध के विरूद्ध 397 भादिव एवं धारा-11/13

सात सा रूपय एवं उसका पत्ना हमलता सं एक कालर सान का, चार सोने की चूड़ी, दो सोने की अंगूठी को आग्नेयास्त्र कट्टा से तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उनसे लूट कर लूट कारित की?

2. क्या, आरोपी लला उर्फ धर्मवीर उक्त सुसंगत घटना, दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 12 बोर का कट्टा व अन्य 12 बोर का कारतूस को अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया गया?

3

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजिकशोरसिंह (अ०सा० 1), नरेन्द्रसिंह तोमर (अ०सा० 2), हैमलता (अ०सा० 3), अनिल (अ०सा० 4) कैलाश (अ०सा०5), प्रमोदिसंह (अ०सा 06), महेन्द्रसिंह भदौरिया (अ०सा 07) वाल्मीकि चौबे (अ०सा 08), रन्धीरसिंह (अ०सा० 09) वंदना बघेल (अ०सा०–10), रतीरामसिंह (अ०सा०–11), राजवीरसिंह (अ०सा०–12), लालूसिंह (अ०सा०–13), डी०एस० यादव (अ०सा०–14) की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.–1 लगायत–प्रदर्श पी.–16 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं ।

-::- विचारणीय प्रश्न कमांक-01 का सकारण निष्कर्ष -::-

8. परीक्षित साक्षियों में से फरियादी एवं रिपोर्टकर्ता नरेन्द्रसिंह तोमर अ०सा0—2, उसकी पत्नी व पीड़िता श्रीमती हैमलता अ०सा0—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसे कथन करते हुए यह कहा है कि वह कथन दिनांक 18.06.15 के करीब 7—8 महीने पहले मोटरसाईकिल से अपने गांव से नरेन्द्र के साढ़ू भाई रंधीर की दादी के मृत्युभोज में शामिल होने के लिये हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल से जा रहा था जिसे नरेन्द्र चला रहा था। उसकी पत्नी हैमलता पीछे बैठी थी और जब वह ग्राम कदमन का पुरा में कच्चे रास्ते पर बंबा पार करके निकले तो पीछे से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आये थे जो देशी कट्टा लिये थे। उन्होंने उन्हें रोककर जेवर उतारकर देने के लिये धमकाया था और कट्टा निकाल लिये थे जिससे हैमलता ने पहने हुए जेवर सोने का कॉलर, हाथों की चूड़ियाँ, व अंगूठी डर के कारण उतारकर दे दी थी। जो करीब छः सात तौला था। लिखापढी करने वालों को वह पहले से नहीं जानते थे क्योंकि दोनों लुटेरे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे जिनकी कद काठी व हुलिया भी वह नहीं बता सकते हैं क्योंकि वह लूट कर चले गये थे और वह दोनों मोटरसाईकिल पर ही बैठे हुए थे। लुटेरों के जाने के बाद उसने अपने साढू के यहाँ

फोन करके सूचना दी थी। फिर थाना एण्डोरी में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। अ0सा0—2 ने प्र0पी0—2 की रिपोर्ट लिखाना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर करना बताते हुए पुलिस द्वारा प्र0पी0—3 का नक्शामौका बनाया जाना कहा है किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि लुटेरों की उसे कोई पहचान कराई थी। उसने प्र0पी0—4 के शिनाख्ती पंचनामापर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं।

- 9. पहचान के बिन्दु पर समर्थन न करने से अभियोजन द्वारा अ0सा0—2 को पक्ष विरोधी घोषित करते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने इस बात इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस को प्र0पी0—2 की रिपोर्ट लिखाते समय उसने आरोपीगण का हुलिया लिया था जिसमें एक लुटेरा सांवले रंग का, उल्टी टोपी लगाये हुए मुंह बांधे बताया था। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पास मोबाईल भी था लेकिन आरोपीगण ने नहीं लिया था। इस बात से इन्कार किया है कि उपजेल गोहद में ले जाकर उससे आरोपियों की पहचान कराई थी। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि साक्ष्य के दौरान न्यायालय में न्यायिक निरोध में खड़े आरोपी भूरा को उसने घटना के समय देखा था। इस प्रकार से अ0सा0—2 के अभिसाक्ष्य में उसके साथ लूट की घटना कारित होना और दो व्यक्तियों के द्वारा उक्त लूट की जाना तो प्रमाणित है जिसमें उसकी पत्नी के जेवरात की लूट तत्काल मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर की गई किन्तु लूट किसने की, इस बारे में वह अभियोजन का समर्थन नहीं करता है क्योंकि उसने शिनाख्ती की कार्यवाही होने से ही इन्कार कर दिया है।
- 10. इसी प्रकार उसकी पत्नी हैमलता अ०सा०–3 जो कि घटना की पीड़िता है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में जेवरात की लूट अपने पति अ0सा0–2 की तरह बताई है किन्तु आरोपिया की पहचान करने या पुलिस द्वारा अंगूठी की शिनाख्ती सरपंच के माध्यम से कराये जाने का समर्थन नहीं किया है और वह भी शिनाख्ती के बिन्दू पर पक्ष विरोधी है। उसने इस बात से इन्कार किया है कि अंगूठियों की पहचान ग्राम पंचायत एण्डोरी के सरपंच रामकल्याण कुशवाह ने कराई थी जिसमें उसने अपनी अंगूठी की सही पहचान की जिस पर से प्र0पी0-5 का अंगूठी का शिनाख्ती पंचनामा बनाया था तथा उसने गोहद जेल में आरोपियों की कार्यवाही नायब तहसीलदार वंदना बघेल द्वारा करायी जाना और उसका प्र0पी0–6 व 7 के मेमोरेण्डम तैयार किये जाने से भी इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने प्र0पी0–8 क पुलिस को दिये गये कथन में आरोपियों का हलिया बताया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पति से 700 / – रूपये भी लूटे गये थे। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि घटना के बाद उसके पति आरोपियों को ढूंढ रहे थे तब सिहोनियाँ बस स्टेण्ड पर एक लड़का हाथ ठेले पर नाश्ता कर रहा था जिसे उसने पहुंचीन लिया था उसने ह घटना की थी। इस बात से इन्कार किया है कि वह लडका मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07एम0बी0-2042 से भागा था। उसने एक व्यक्ति को लिखी हुई चिट्ठी भी दी थी जो ग्राम भारौली की थी। आरोपियों से समझौते की बात से भी उसने इन्कार किया है। इस प्रकार से अ0सा0−2 व अ0सा0−3 के कथनों से 700 / −रूपये की भी लूट किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जैसा कि प्र0पी0-2 के कथानक में बताया गया है।

5

- रणधीरसिंह अ०सा०–९ जिसकी दादी की तेरहवीं में नरेन्द्र व हैमलता का जाना बताया गया है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.10.14 को उसकी दादी की त्रयोदशी में शामिल होने के लिये नरेन्द व हैमलता के आते समय रास्ते में लूट की घटना हो जाना, नरेन्द्र द्वारा उसे फोन से बताया जाना, फिर उसका मौके पर जाना और नरेन्द्र व हैमलता को लेकर थाना एण्डोरी पर जाकर रिपोर्ट कराना बताया तथा लूट की घटना में हैमलता के जेवर, गले की सोने की कॉलर, चार हाथों की चूड़ियाँ, दो अंगूठियाँ उतरवाकर लुटेरों के द्वारा ले जाने की पुष्टि होती है किन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसके सामने न तो कोई जप्ती हुई और न ही नरेन्द्र ने उसे यह जानकारी दी थी कि लूट किन लोगों के द्वारा की गई। लेकिन वह नरेन्द्र द्वारा लूटेरों का हुलिया बताया जाना कहता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसके सामने आरोपी भूरेसिंह को न तो पुलिस ने गिरफतार किया न उससे कोई पूछताछ की न कोई जप्ती कीगई। जबकि अभियोजन कथानक मुताबिक रणधीर के सामने आरोपी भूरेसिंह तोमर को भौनपुरा मोड़ से गिरफतार करना और उस समय लूटी गई वस्तुओं में से 400 / –रूपये नगद जप्त करना बताते हुए प्र0पी0–17 का गिरफ्तारी पंचनामा, प्र0पी0—19 का जप्ती पत्रक तथा प्र0पी0—18 का मेमोरेण्डम कथन लेना बताया है जिसका उक्त साक्षी समर्थन नहीं करता है।
- 13. इस तरह से उपरोक्त चारौ साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के विश्लेषण से उनके द्वारा विचाराधीन आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य दी जाना नहीं पाया गया है। मात्र लूट की घटना की ही पुष्टि होती है। किन्तु किन लोगों के द्वारा लूट की गई, यह उक्त चारौ साक्षियों के कथनों से स्पष्ट नहीं है। इसलिये अन्य साक्षियों के कथनों के आधार पर सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या विचाराधीन आरोपियों के द्वारा ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया

था या नहीं? क्योंकि प्रकरण में आरोपीगण की पहचान सुनिश्चित नहीं हुई है।

- आरोपियों की पहचान कराने वाली नायब तहसीलदार श्रीमती वंदना बघेल 14. अ०सा०–10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो बताया है कि दिनांक 12.03.15 को उसने उपजेल गोहद में आरोपी भूरेसिंह की शिनाख्ती की कार्यवाही फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर से कराई थी और प्र0पी0—4 का शिनाख्ती पंचनामा बनाया था जिसके संबंध में पैरा–4 में उसने यह स्वीकार किया है कि आरोपियों का फरियादी द्वारा पहचाना नहीं गया था। इसी प्रकार वह दिनांक 21.04.15 को उपजेल गोहद में ही आरोपी लला उर्फ धर्मवीरसिंह तोमर की श्रीमती हैमलता पत्नी नरेन्द्र तोमर से पहचाना कराना कहती है जिसका प्र0पी0—7 का शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया था लेकिन उसके मुताबिक भी हैमलता ने आरोपी लला उर्फ धर्मवीर को नहीं पहचान पाया था। उक्त दिनांक को हैमलता से आरोपी भूरेसिंह की भी उपजेल गोहद में पहचान करवाना और उसका प्र0पी0–6 का शिनाख्ती मेमो तैयार करना कहा है किन्तू हैमलता द्वारा आरोपी भूरे की भी पहचान नहीं की गई। इस तरह से पहचान परेड विफल रही है। इसलिये प्र0पी0-4, 6 व 7 के दस्तावेजों से अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में पुलिस द्वारा किये गये अन्य अनुसंधान के आधार पर विश्लेषण करना होगा कि अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है या नहीं। क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा तर्कों में संपूर्ण मामला संदिग्ध होने और किसी भी साक्षी द्वारा समर्थन न किये जाने का तर्क करते हुए दोषमुक्ति की प्रार्थना की गई है।
- 15. प्रकरण में लूटे गये जेवरात में से केवल प्र0पी0—9 मुताबिक आरोपी भूरा से एक सोने की अंगूठी बरामद होने और प्र0पी0—19 मुताबिक भूरे से जामा तलाशी में 400 / – रूपये नगद जप्त करना बताये गये हैं किन्तु फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर ने 700 / – रूपये की लूट की भी पुष्टि अपने अभिसाक्ष्य में नहीं की है न इस संबंध में उससे कुछ पूछा गया है और हैमलता को तो इस संबंध में कोई जानकरी उसके पैरा–2 मुताबिक नहीं है। ऐसे में रूपयों की भी लूट हुई हो, यह प्रारंभिक स्तर पर ही संदिग्ध है। जेवरात की लूट जो कि अ0सा0—2, 3, 6 व 9 बताते हैं उसमें से केवल अंगूठी की जप्ती प्र0पी0–9 अनुसार होती है और उसके पंचसाक्षी अनिल अ0सा0–4 व कैलाश अ0सा0–5 हैं जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0–9 के अनुसार बताई गई जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया है और वह भी पक्ष विरोधी रहे हैं। तथा दोनों ने ही अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वे भी ग्राम एण्डोरी में तेरहवीं में न्यौता खाने के लिये जा रहे थे तब थाना एण्डोरी के सामने से गुजरते समय दरोगा जी ने उन्हें बुलाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। उनके सामने न तो कोई सोने की पुरानी इस्तेमाली हाथ की अंगूठी जप्त हुई न ही कोई कार्यवाही हुई। इस तरह से प्र0पी0—9 के दोनों स्वतंत्र व पंच साक्षी जो अप्रत्यक्ष रूप से फरियादी के सगे संबंधी हो सकते हैं, उनका ही समर्थन नहीं है। इसलिये प्र0पी0–9 की कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी के अभिसाक्ष्य का इस संबंध में सावधानीपूर्वक विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है।
- 16. प्र0पी0-9 की कार्यवाही उपनिरीक्षक दलेलसिंह यादव अ0सा0-14 के द्वारा की गई थी जिसने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त दोनों साक्षी अनिल व कैलाश

के समक्ष ही प्र0पी0—9 की कार्यवाही आरोपी भूरा से सोने की पुरानी इस्तेमाली जनानी अंगूठी वजनी तीन ग्राम को जप्त करना कहा है। कथन में कैलाश शब्द प्रहलाद संभवतः टंकणीय त्रुटि से लिख गया है। प्र0पी0—9 की कार्यवाही वह दिनांक 29.12.14 को करना बताता है और उसके बाद उसका स्थानांतरण हो जाना वह कहता है। इसके पहले वह दिनांक 12.12.14 को केसडायरी अग्रिम विवेचना को प्राप्त होने पर रन्धीरसिंह तोमर के उसके बताये अनुसार कथन लेना कहता है जिसका समर्थन रन्धीरसिंह अ0सा0—9 ने नहीं किया है। प्रमोद का वह दिनांक 23.12.14 को प्र0पी0—10 का कथन लेना कहता है जिसका भी प्रमोद अ0सा0—6 ने कोई समर्थन नहीं किया है।

- अ०सा0-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रमोद के कथन में भूरेसिंह तोमर का 17. नाम आने के बाद उसकी तलाश करते रहने और दिनांक 28.12.14 को तलाश करने पर भौनपुरा मोड पर उसके मिलने पर उसे पकडा जाना और प्र0पी0–17 का गिरफतारी पंचनामा बनाकर उसको गिरफतार करना बताया है किन्तु प्र0पी0–17 के गिरफुतारी पत्रक का पंच साक्षी रन्धीर उसकी पुष्टि नहीं करता है और दूसरे साक्षी मोन तोमर को पेश नहीं किया गया है तथा वह जामा तलाशी में भूरेसिंह पर से 400 / -रूपये नगद मिलन कहता है जिसमें सौ सौ के तीन नोट व पचास पचास के दो नोट थे जिसकी प्र0पी0–19 के द्वारा जप्ती करना बताता है जिसका भी रन्धीरसिंह ने कोई समर्थन नहीं किया है और मोनू को पेश नहीं किया है। जप्ती के समय में ओव्हर राईटिंग की गई है क्योंकि प्र0पी0–19 का जप्ती पत्रक दिनांक 28.12.14 को तैयार होना कहा है जिसमें जप्ती का समय 12.20 बजे को ओव्हर राईटिंग करके 12.50 करना परिलक्षित होता है। क्योंकि उसकी प्र0पी0—17 के द्वारा गिरफतारी उक्त दिनांक को दिन के 12.10 बजे की बताई गई है और जब जामा तलाशी में ही रूपये मिल गये तो फिर मेमोरेण्डम प्र0पी0-18 की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम तो रूपयों की लूट का फरियादी ने ही समर्थन नहीं किया है।
- 18. अ०सा०–14 ने प्र०पी०–18 के संबंध में यह साक्ष्य दी है कि आरोपी भूरासिंह से लूट के सामान के संबंध में पूछताछ करने पर उसने 700 / —रूपये और दो सोने की अंगूठियाँ मिलना और उसमें 300 / —रूपये खर्च हो जाना तथा 400 / —रूपये गिरफ्तारी के समय जप्त होना बताया था तथा शेष आभूषण और मोटरसाईकिल व कट्टे के संबंध में धर्मवीर के पास होने की जानकारी दी थी। तथा दो सोने की अंगूठियाँ घर में छुपाकर रखने और बरामद कराने की जानकारी दी थी और प्र०पी०–9 मुताबिक उक्त कार्यवाही के अगले दिन दिनांक 29.12.14 को एक अंगूठी जप्त करना बताई गई। दूसरी अंगूठी के बारे में जप्ती पत्रक में उल्लेख नहीं किया कि दूसरी अंगूठी का क्या हुआ न दूसरी अंगूठी के बारे में उसके द्वारा और कोई कार्यवाही की गई। ऐसे में अ०सा०–14 के अभिसाक्ष्य से किसी भी साक्षी के समर्थन के अभाव में प्र०पी०–9, 10, 17 लगायत 19 के दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
- 19. आरोपी धर्मवीर को आरोपी भूरेसिंह तोमर के मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-18

में नाम आने के आधार पर अभियोजित किया गया है उससे कोई मोटरसाईकिल जिसका घटना में इस्तेमाल बताया गया है, वह बरामद नहीं हुई है न ही उसके संबंध में कोई पंचनामा बनाया गया है बल्कि धर्मवीर को अनुसंधान के दौरान घटना की अग्रिम विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक वाल्मीकि चौबे अ०सा०–८ के द्वारा दिनांक 27.03.15 से थाना प्रभारी के पद पर एण्डोरी में पदस्थ रहना बताते हुए प्र0पी0—12 मुताबिक आरोपी लला उर्फ धर्मवीर तोमर की गिरफतारी करना बताई है जो गिरफुतारी पत्रक के अवलोकन से दिनांक 04.04.15 को गिरफुतार करना बताया है जिसकी दिनांक के माह में ओव्हरराईटिंग है और पांच को चार किया गया है जिसके संबंध में उक्त साक्षी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि उससे इस बारे में पूछा भी नहीं गया है इसलिये ओव्हर राईटिंग महत्व नहीं रखती है। किन्त् आरोपी लला उर्फ धर्मवीर की गिरफतारी के दो दिन बाद उससे पूछताछ करते हुए दिनांक 06.04.15 को प्र0पी0-13 मुताबिक घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा के संबंध में मेमोरेण्डम कथन लेना, उसके बाद दिनांक 07.04.15 को लूट के जेवरों के संबंध में बरामदगी बाबत मेमोरेण्डम कथन लेना बताया है जो प्र0पी0–14 है। दिनांक 06.04.15 को प्र0पी0—15 मुताबिक आरोपी लला उर्फ धर्मवीर से एक सोने की जनानी पुरानी इस्तेमाली अंगूठी जप्त बताई गई है।

- 20. उक्त कार्यवाही में प्र0पी0-12 लगायत 14 के पंच साक्षी पेश नहीं किये गये हैं। जप्ती पत्रकों के पंच साक्षी राजवीर अ०सा०–12 एवं लालुसिंह अ०सा०–13 के रूप में परीक्षित हुए हैं किन्तू दोनों ने ही पक्ष विरोधी रहते हुए जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया है। उन्होंने प्र0पी0—15 एवं 16 के जप्ती पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर तो स्वीकार किये है किन्तु कोई वस्तु बरामदगी से स्पष्टतः इन्कार करते हैं। ऐसे में जो अंगूठी की जप्ती बताई गई है उसका भी पंच साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है और अंगुठी की पहचान भी पीडिता हैमलता अ०सा०–3 ने नहीं की है। ऐसे में जो अंगूठी बरामद होना बताई जा रही है वह वास्तव में फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर की पत्नी हैमलता की इस्तेमाली थी, यह ही संदिग्ध है। हालांकि अंगूठी को आरोपियों ने अपनी होने का क्लेम नहीं किया है और फरियादी ने विचारण के दौरान उसे अंतरिम सुपूर्वगी पर प्राप्त किया है जो फरियादी हैमलता की मानते हुए दी गई है लेकिन जप्ती प्रमाणित न होने से उसके आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है। ऐसे में वाल्मीकि चौबे अ०सा०–८ के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0–13 लगायत 16 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और मात्र गिरफ्तारी प्रमाणित होने से घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 21. उपनिरीक्षक रतीराम सिंह अ०सा०—11 ने दिनांक ०६.१०.१४ को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी रहते हुए फिरयादी नरेन्द्रसिंह तोमर की रिपोर्ट पर से लूट संबंधी अप०क०—79 / 14 के तहत प्र०पी०—2 की एफआईआर लेखबद्ध करना और फिरयादी की निशादेही पर प्र०पी०—3 का नक्शामौका तैयार करना तथा फिरयादी नरेन्द्रसिंह तोमर एवं उसकी पत्नी हैमलता के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने की साक्ष्य दी है। प्र०पी०—3 का नक्शामौका घटना के अगले दिन दिनांक ०७.१०.१४ को तैयार करना बताया है जिसका नरेन्द्र अ०सा०—2 ने अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है जिससे भी मात्र इस बात की पुष्टि होती है कि जो घटनास्थल

बताया गया है वहाँ लूट की घटना कारित हुई किन्तु रिपोर्ट अज्ञात में थी और उसमें लुटेरों का हुलिया बताया गया था। किन्तु उसका समर्थन नरेन्द्रसिंह अ०सा०—2 ने नहीं किया न ही कथन नरेन्द्र व हैमलता ने पुलिस को देना कहा है। ऐसे में प्र0पी0—2 की एफ0आई0आर0 का संपूर्ण वृतांत जिसमें नरेन्द्र से 700/—रूपये की भी लूट बताई गई, वह प्रथम दृष्ट्या ही संदिग्ध है और एफ0आई0आर0 को यथावत अ०सा0—11 की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हैमलता ने प्र0पी0—8 का कथन देने से भी इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में अ०सा0—11 के अभिसाक्ष्य से भी अभियोजन कथानक संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

22. अतः प्रकरण में उक्त विश्लेषण के आधार पर फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर एवं उसकी पत्नी श्रीमती हैमलता के साथ दिनांक 06.10.14 को दिन के डेढ़ दो बजे के दरम्यान अपने गांव से एण्डोरी जाते समय रास्ते में भौनपुरा कलसी के कच्चे रास्ते में बंबा के पास लूट की घटना होना और उसमें जेवरात तत्काल भय या घोर उपहित के भय में डालकर दो अज्ञात लोगों के द्वारा लूट करके ले जाई जाना ही प्रमाणित है। किन्तु आरोपीगण के द्वारा ही उक्त घटना को अंजाम दिया गया हो, पूर्णतः संदिग्ध है। इसलिये आरोपीगण को विरचित आरोप धारा— 397 भादिव एवं धारा—11/13 एम0पी०डी०व्ही०पीके० एक्ट 1981 के अंतर्गत दोषसिद्धि किये जाने की कोई साक्ष्य न होने से उन्हें संदेह का लाभ दिया जाकर उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

-::- विचारणीय प्रश्न कमांक-02 का सकारण निष्कर्ष -::-

- 23. जहाँ तक आरोपी लला उर्फ धर्मवीर के विरुद्ध अवैध आग्नेय शस्त्र वगैर वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में होने के संबंध में आयुध अधिनियम की धारा—3 का उल्लंघन बताते हुए धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 का आक्षेप किया गया है जिसके संबंध में उपर के विश्लेषण मुताबिक धर्मवीर का प्र0पी0—13 का मेमोरेण्डम कथन और प्र0पी0—16 का जप्ती पत्र पंच साक्षियों से समर्थित होना नहीं पाया गया है क्योंकि उसके संबंध में साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं। तथा जप्तीकर्ता वाल्मीिक चौबे अ0सा0—8 के अभिसाक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं पाया गया है। क्योंकि उससे संबंधित कोई रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे और लूट की मूल घटना ही संदिग्ध रही है। ऐसे में प्र0पी0—16 जिसके माध्यम से बारह बोर का देशी कट्टा चालू हालत में, एक जिन्दा कारतूस सहित बरामद होना प्रमाणित नहीं हुआ है।
- 24. इस संबंध में बरामद कट्टा व कारतूस की जांच करने वाले आरक्षक आर्म्स मुहरिर राजिकशोरिसंह अ०सा०—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 11.04.15 को पुलिस लाईन भिण्ड में पदस्थ था। थाना एण्डोरी की ओर से जांच हेतु भेजे गये कट्टा कारतूस का परीक्षण करने पर कट्टा चालू व कारतूस जीवित होना तथा फायर योग्य होना व कट्टे से फायर किया जा सकना बताते हुए प्र०पी०—1 की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उसके आधार पर भी आरोपीगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। जब तक कि जप्ती प्रमाणित न हो और प्र०पी०—16 की जप्ती संदिग्ध रही है क्योंकि उससे संबंधित पंच साक्षी के समर्थन

का अभाव है और कार्यवाही कर्ता अ०सा०–८ का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना गया है।

- महेन्द्रसिंह भदौरिया आर्म्स क्लर्क अ०सा०-७ जिसने अपने अभिसाक्ष्य में 25. दिनांक 22.04.15 को डी०एम० कार्यालय भिण्ड में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना एण्डोरी के अप०क०-७७ / १४ में जप्तशुदा १२ बोर का कटटा, एक जीवित कारतूस मय केंसडायरी के अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक के पत्र के माध्यम से भेजा जाना और भेजी गई सामग्री के आधार पर जिला दण्डाधिकारी श्री मधकर आग्नेय के द्वारा प्र०पी०—11 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना बताया है और यह भी कहा गया है कि दस्तावेज व शस्त्र लाये गये थे जिनका अवलोकन स्वयं उसने भी किया था और जिला दण्डाधिकारी ने भी किया था जिनके समक्ष कट्टे को खोलकर देखा गया था और अवलोकन उपरांत पुनः सील्ड किया था। तथा अभियोजन स्वीकृति उसने टाईप की थी। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए अवैध कट्टा रखने के कारण अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना स्वीकार किये जाने पर भी आरोप को तब तक दोषसिद्ध नहीं उहराया जा सकता है जब तक कि उससे अवैध आग्नेय शस्त्र की जप्ती प्रमाणित न हो। क्योंकि यह तथ्य तो निर्विवादित है कि जिस प्रकार का आग्नेय शस्त्र जप्त हुआ, उसकी कोई वैध अनुज्ञप्ति आरोपी लला उर्फ धर्मवीर के पास नहीं है किन्तु लला उर्फ धर्मवीर आरोपी से उसकी जप्ती ही संदिग्ध है। इसलिये उसे धारा—25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोपों में भी दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा संकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत चिन्दू विरूद्ध स्टेट 1987 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यु0एन0 एस0एन0-115 में ऑफ एम0पी0 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि जिस साक्ष्य के आधार पर डकैती का मूल अपराध प्रमाणित नहीं माना गया हो, उसी साक्ष्य के आधार पर धारा–25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपी लला उर्फ धर्मवीर को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा–25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है।
- 26. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 27. प्रकरण में जप्तशुदा 400 / रूपये एवं एक सोने की अंगूठी जनाना वजनी 3 ग्राम पूर्व से आवेदक / फरियादी नरेन्दिसह एवं हैमलता के सुपुर्दगी में हैं अतः अपील अविध उपरान्त सुपुर्दगीनामा उसी के पक्ष में निरस्त समझा जावे। एवं जप्तशुदा बारह बोर का एक कट्टा व एक जिन्दा राउण्ड बारह बोर का विधिवत निराकरण हेतु अपील अविध उपरान्त न्यायिक दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

दिनांकः 08.09.15

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर 🥂 खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड